सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचम सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-29.03.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री नीतीश मिश्रा, स०वि०स०	"राज्य के 13 विश्वविद्यालयों में कुल 12893 पद शिक्षकों के लिए सृजित है, इनमें से 7000 से अधिक पद खाली है । बिहार के कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने वर्ष 2020 में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की । आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हुए एक साल से अधिक हो गया है लेकिन अभी तक यह पूरी नहीं हुई है । कुल 52 विषयों में 4638 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है, इनमें से लगभग 82 शिक्षकों की अभी तक नियुक्ति की गयी है । शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दिये गये विगत दो सालों में छः स्मार-पत्र (Reminder) भी विफल हो चुके हैं । अतः विश्वविद्यालय सेवा आयोग की कार्य में शिथिलता एवं शिक्षकों की कमी से छात्रों के शैक्षणिक कार्य में हो रही परेशानी के संबंध में मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	शिक्षा

2.	श्री राहुल तिवारी, स०वि०स० श्री मनोज मंजिल, स०वि०स० श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्रीमती मंजु अग्रवाल, स०वि०स० श्रीमती रेखा देवी, स०वि०स० श्री राजेश कुमार गुप्ता, स०वि०स० श्री भरत बिन्द, स०वि०स० श्री संतोष कुमार मिश्र, स०वि०स०	"बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण के पश्चात किसानों को अविलंब निर्धारित दर पर मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान है, परन्तु बिहार में कई राजमार्गों के अधिग्रहण एवं निर्माण के पश्चात भी अभी तक हजारों किसानों को मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है । उदाहरणस्वरूप राष्ट्रीय राजमार्ग 84/30 (पटना-बक्सर फोरलेन) के अधिग्रहण के पश्चात भोजपुर, बक्सर एवं पटना जिले के कई किसानों को मुआवजा का भुगतान आज तक नहीं किया गया है । सक्षम प्राधिकार-सह-राजस्व न्यायालयों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा जान-बुझकर भोले-भाले रैयतों को तंग करने की नियत से दलालों के माध्यम से झुठी आपत्ति संबंधी आवेदन दिलवाकर मुआवजा की राशि कई वर्षों से रोक कर रखा गया है । बिहियाँ प्रखण्ड के मौजा तेघरा, दोघरा एवं अन्य कई मौजों में किसानों का भूमि अधिग्रहण किया गया तथा सड़क का निर्माण भी कर दिया गया लेकिन लगभग 5 वर्ष पूर्व कागजात जमा करने के बाद भी उनके मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है । अतः किसानों को मुआवजा की राशि का अविलंब भुगतान कराने तथा दोषी कर्मियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	पथ निर्माण/ राजस्व एवं भूमि सुधार

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2022- 1684 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2022 ई० ।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28-3-2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2022- 1684 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2022- 1684 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग / पथ निर्माण विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

28.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-19/2022- 1684 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 मार्च, 2022 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं संयुक्त सचिव के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

28.3.2022

(विमलेन्दु भूषण कुमार)

अवर सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

28.3.22